आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग

आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग की स्थापना अप्रैल 1992 में सचिव विभाग में ही की गई थी जिसमें सरकारी उधार, खुले बाजार के परिचालन तथा अर्थोपाय अनुभाग थे । कक्ष की स्वतंत्र इकाई के रूप में स्थापना 1 अक्तूबर 1992 को की गई तथा इसे आंतरिक ऋण प्रबंध कक्ष (आइडीएमसी) नाम दिया गया तथा बाद में मई 2003 में इसका नाम बदल कर आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग हो गया। अक्तूबर 2005 में वित्तीय बाजार विभाग के गठन के फलस्वरूप बाजार से संबंधित कुछ गतिविधियाँ आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग से अंतरित हो कर वित्तीय बाजार विभाग का भाग बन गई ।

कार्य

आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग का प्रमुख कार्य भारत सरकार/राज्य सरकारों के लोक ऋण का प्रबंधन है । विभाग प्राथमिक व्यापारी प्रणाली का विनियमन और उसकी निगरानी करता है तथा सरकारी प्रतिभूति बाजार के विकास का दायित्व भी इस पर है । इनमें निम्नलिखित गतिविधियाँ शामिल हैं :-

(i) केन्द्र/राज्य सरकार ऋणों का प्रवर्तन - भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियाँ और खजाना बिल जारी करने के लिए कैलेंडर तैयार करना, सरकार के बाजार उधारों के लिए नए लिखत लागू करना;

(ii) केन्द्र और राज्य, दोनों, सरकारों के लिए अर्थोपाय अग्रिम की सीमा निर्धारित करना तथा दैनिक आधार पर इन सीमाओं के उपयोग की निगरानी;

(iii) प्राथमिक व्यापारी प्रणाली का प्राधिकरण, विनियमन और पर्यवेक्षण

(iv) नई लिखत लागू करना, कारोबारी मंच का विकास, समाशोधक और निपटान प्रणालियाँ तथा निवेशकों का आधार व्यापक बनाने जैसी बाजार विकास गतिविधियाँ

(v) विभिन्न निधियों में खजाना बिलों तथा दिनांकित प्रतिभूतियों में उनके अतिरिक्त नकदी शेष में राज्य सरकारों के निवेश को सुगम बनाना

सांविधिक प्रावधान

लोक ऋण प्रबंधन के लिए आवश्यक कानूनी ढाँचा भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 द्वारा उपलब्ध करया गया है । विशेष रूप से भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम की धारा 20, 21, 21ए, 17(11), 17(5), में केंद्र और राज्य सरकारों के लोक ऋण प्रबधन में बैंक की भूमिका परिभाषित है ।

(i) भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम की धारा 20 और 21 के अनुसार भारत सरकार के लोक ऋण का प्रबंधन तथा नया ऋण जारी करने के कार्य का अधिकार भारतीय रिज़र्व बैंक के पास है ।

(ii) भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम की धारा 21ए के अंतर्गत, बैंक किसी राज्य सरकार के साथ करार करके उस राज्य के लोक ऋण के प्रबंधन का कार्य कर सकता है ।

(iii) भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम की धारा 17(11) के अंतर्गत भारतीय रि?ज़र्व बैंक को, अन्य मदों के साथ-साथ केन्द्र और राज्य सरकारों के लोक ऋण प्रबंधन तथा बॉण्ड और डिबेंचर जारी करने की शक्ति?याँ प्राप्त हैं ।

(iv) भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम की धारा 17(5) के अंतर्गत बैंक, केन्द्र और राज्य सरकारों के बैंकर के रूप में उन्हें अर्थोपाय अग्रिम प्रदान करने के लिए प्राधिकृत है ।

(v) रिज़र्व बैंक को सरकारी प्रतिभूति बाजार पर विनियामक शक्ति प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम (एससीआरए) 1956, मार्च 2000 में यथा संशोधित, की धारा 16 से प्राप्त होती है जिसके अंतर्गत सरकार ने स्वयं के लिए प्रयोग की जाने वाली शक्तियाँ रिज़र्व बैंक को प्रदत्त की हैं । भारतीय रिज़र्व बैंक (संशोधन) अधिनियम 2006 की धारा 45 डब्ल्यू के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को डेरिवेटिव्ज़, मुद्रा बाजार लिखतों इत्यादि में लेन-देनों के विनियमन का अधिकार प्राप्त है । अत: रिज़र्व बैंक को सरकारी प्रतिभूतियों, मुद्रा बाजार प्रतिभूतियों, सोने से संबंधित प्रतिभूतियों तथा इन प्रतिभूतियों से प्राप्त प्रतिभूतियों तथा उधार प्रतिभूतियों में तैयार वायदा संविदाओं में लेन-देन विनियमित करने का प्राधिकार प्राप्त है ।

(vi) सरकारी प्रतिभूति (जीएस) अधिनियम, 2006 (जो लोक ऋण अधिनियम 1944 के स्थान पर है) तथा सरकारी प्रतिभूति विनियमावली 2007 भारतीय रिज़र्व बैंक को सरकारी प्रतिभूतियों के जारी करने और प्रबंधन के अधिकार प्रदान करते हैं ।

परिचालनगत ढाँचा

आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के परामर्श से दिनांकित प्रतिभूतियों तथा खजाना बिलों के प्राथमिक निर्गम के लिए छमाही/वार्षिक कैलेंडर तैयार करता है; निर्गमों का आकार, अवधि और परिपक्वता अवधि निर्धारित करता है तथा सरकार की आवश्यकताओं बाजार स्थितियों तथा विभिन्न निवेशक घटकों की प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए नीलामी आयोजित करता है। निर्गम जारी करने की प्रक्रिया को कूटबद्ध किया गया है तथा सरकारी अधिसूचना, जिसे सामान्य अधिसूचना कहा जाता है, (संदर्भ : एफ सं.4(13)-डब्ल्यू एण्ड

एम/2008 दिनांक 8 अक्तूबर 2008) के माध्यम से पब्लिक डोमेन में रखा गया है । रिज़र्व बैंक के विभि?न्न क्षेत्रीय कार्यालयों में स्थित लोक ऋण कार्यालय रजिस्ट्री का प्रबंधन तथा निक्षेपागार के कार्य के साथ-साथ स्वामित्व की पंजी प्रविष्टि के रूप में रखने सहित प्रतिभूतियों के खाते अनुरक्षित करते हैं ।

भारत के संविधान की धारा 293 राज्य सरकारों द्वारा उधार उपलब्ध कराती है । वर्ष के आरंभ में भारत सरकार द्वारा प्रत्येक राज्य की उधार की सीमा निर्धारित की जाती है । रिज़र्व बैंक संबंधित राज्य सरकारों तथा भारत सरकार के परामर्श से राज्य सरकारों की उधार आवश्यकताओं और बाजार स्थितियों के मद्देनज़र राज्य विकास ऋणों की अवधि और अधिसूचित राशि निर्धारित करता है । 2006-07 से राज्य सरकारों के बाजार उधार पूर्ण रूप से नीलामी के स्वरूप के माध्यम से ही कि?ए जाते हैं ।

भारतीय रिज़र्व बैंक सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करता है तथा केंद्र और राज्यों को अर्थोपाय अग्रिम की सुविधा उपलब्ध कराता है। केंद्र के संबंध में अर्थोपाय अग्रिम की सीमा वार्षिक आधार पर भारत सरकार के परामर्श से निर्धारित की जाती है। राज्यों के बीच अर्थोपाय अग्रिम सीमा का आबंटन राज्य सरकारों के ओवरड्रफ्टों तथा अर्थोपाय अग्रिमों पर परामर्शदात्री समिति की सिफारिशों को देखते हुए किया जाता है ।

आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग प्राथमिक व्यापारियों का विनियमन पूंजी पर्याप्तता मानकों, जोखिम प्रबंधन तथा अन्य परिचालनगत पहलुओं पर विवेकपूर्ण और विनियामक दिशानिर्देश जारी करने के माध्यम से करता है ।

सूचना का प्रसार

आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग नीलामी घोषणाओं से लेकर उनके परिणामों तक की पूरी जानकारी का प्रसार करता है; यह सूचना उन व्यक्तियों, बैंको, वित्तीय संस्थाओं के लिए उपयोगी होती है जो नीलामी में भाग लेते हैं तथा सरकारी प्रतिभूतियों (केंद्र और राज्य) में अंशदान कर रहे हैं। जनता को प्रत्येक निर्गम के प्रवर्तन/नीलामी से सामान्यतया तीन से सात दिन पहले उसका ब्योरा अधिसूचित कर दिया जाता है । इस सूचना का प्रसार बैंक की वेबसाइट (www.rbi.org.in) के प्रेस प्रकाशनी नामक खण्ड में कर दिया जाता है । इसके साथ-साथ, बैंक के संचार विभाग द्वारा विज्ञापन भी दिए जाते हैं जिसमें प्रमुख राष्ट्रीय समाचार पत्रों में प्रतिभूतियाँ जारी करने तथा विशेष प्रतिभूतियों की नीलामी की घोषणा करते हुए व्यापक प्रचार किया जाता है ।

प्राथमिक बाजार के माध्यम से (i) भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों तथा खजाना बिलों के जारी करने तथा (ii) द्वितीयक बाजार में भारत सरकार की प्रतिभूतियों, राज्य सरकार की प्रतिभूतियों और खजाना बिलों से संबंधित सूचना का प्रसार पब्लिक डोमेन में प्रेस प्रकाशनियों तथा साप्ताहिक सांख्यिकीय परिशिष्ट (डब्ल्यूएसएस) मासिक बुलेटिन तथा सांख्यिकीय पुस्तिका द्वारा क्रमश: साप्ताहिक, मासिक और वार्षिक आधार पर किया जाता है । ऋण प्रबंधन गतिविधियों का ब्योरा भारतीय रिज़र्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट में भी दिया जाता है, जो एक सांविधिक रिपोर्ट है। ये प्रकाशन (http://www.rbi.org.in/hindi/Scripts/Publication.aspx)लिंक का उपयोग करते हुए बैंक की वेबसाइट में भी देखे जा सकते हैं।